सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :— 273/2016

बउनवान

1. रामचन्द्रा आयु 33 वर्ष पुत्र फोज्या
2. नवलसिंह आयु 20 वर्ष पुत्र फोज्या जाति गूजर निवासीगण बिसलाई तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद **(रेस्पोडेन्ट)**

अपील विरूद्व इंतकाल नम्बर 316 ग्राम बिसलाई

उपस्थित :— 1— श्री बृजराज सिंह अभिभाषक **(अपीलांट)**
2— पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**
3— सदस्य लोक अदालत बेंच

लोक अदालत निर्णय दिनांक 09.05.2017

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 61 रकबा 4.06 बीघा, खसरा नंबर 66 रकबा 5.05 बीघा, खसरा नंबर 119 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 122 रकबा 4.04 बीघा कुल किता 4 रकबा 16.11 बीघा ग्राम बिसलाई तहसील छीपाबड़ौद में स्थित है। अपीलांट के पिता फोज्या की मृत्यु उपरांत नामां. नंबर 316 रेस्पोडेन्ट द्वारा हरचन्द, पप्पू पिसरान फोज्या, भेरीबाई बेवा फोज्या हि. 1/2 दर्ज किया गया। उक्त आराजी में अपीलांट का नाम गलत दर्ज हो रहा है। अपीलांट रामचन्द्रा का नाम हरचन्द व नवलसिंह का नाम पप्पू दर्ज हो रहा है तथा अपीलांट की माता भेरीबाई जिसका नाम गीता है का नाम भेरीबाई दर्ज हो रहा है। अपीलांट की माता की की मृत्यु हो चुकी है। राजस्व कर्मियों ने अपीलांट के पिता फोज्या का फोती इन्तकाल नंबर 316 खोलते समय अपीलांट व अपीलांट की माता का नाम गलत दर्ज कर दिया जिससे अपीलांट को अपनी आराजीयात के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने, ऋण प्राप्त करने में काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 316 ग्राम बिसलाई खारिज फरमाया जाकर अपीलांट का नाम शुद्ध करने व अपीलांट की मृत्यु होने से उनका नाम खाते से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.11.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय से ग्राम बिसलाई के नामान्तरकरण संख्या 316 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में संलग्न दिनांक 01.07.2015 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत सहजनपुर में केम्प प्रभारी को अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 01.07.2015, बयान रामचन्द्र दिनांक 01.07.2015, बयान फूलसिंह पुत्र छगनलाल गूजर दिनांक 01.07.2015, एवं बयान धूलीलाल पुत्र बंशीलाल गूजर दिनांक 01.07.2015 तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा उनके पत्र क्रमांक एल.आर./13 दिनांक 01.07.2015 से उप जिला कलेक्टर छीपाबड़ौद को प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रतियों का अवलोकन करवाते हुए लोक अदालत की भावना से अपील स्वीकार की जाकर ग्राम बिसलाई के नामान्तरकरण संख्या 316 को खारिज किये जाने तथा अपीलांटगण की मृतक माता का नाम खाते से खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने सर्वप्रथम कथन किया कि अपीलांटगण ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की जो खारिज किये जाने योग्य है। लोक अदालत की भावना से ग्राम बिसलाई के नामान्तरकरण संख्या 316 को खारिज किया जाकर प्रकरण न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न छायाप्रतियां अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, बयानात एवं तहसीलदार छीपाबड़ौद की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिसलाई के नामान्तरकरण संख्या 316 में अपीलांटगण के नाम अंकित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने तकनीकी त्रुटि की है।

अतः अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम बिसलाई का नामान्तरकरण संख्या 316 खारिज किया जाकर तहसीलदार छीपाबड़ौद को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक फोज्या के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर विधिवत नामान्तरकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2017 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर बारां